संख्या- /2017/ /पांच-6-17-एस0एन0डी0-30/11

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 02 मार्च, 2017

विषय-: वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनपद सीतापुर के 08 नग नये सामु0स्वा0केन्द्रों हेतु उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री के क्रय के लिए शासनादेश दिनांक 10.10.2014 द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष लैप्स धनराशि रू0-63,13,244.00 की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (पी.एच.सी./सी.एच.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-10फ/कैम्प/2016-17/1619 दिनांक 13.01.2017 व मुख्य चिकित्साधिकारी के पत्र संख्या-मु0चि0अ0/लेखा/2016-17 दिनांक 04.02.2017 तथा शासनादेश संख्या-64/2053/पॉच-6-14-एस0एन0डी0-30/11 दिनांक 10.10.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश 10.10.2014 द्वारा प्रदेश के 264 नग नये सामु0स्वा0केन्द्रों के संचालन हेतु उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री के क्रय के लिए प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रू0 20,09,510.00 की दर से कुल रू0 53,05,10,640.00 की प्रशाकीय एवं स्वीकृति निर्गत की गयी जिसमें जनपद सीतापुर के 08 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्दों को क्रियाशील करने के लिए उपकरणो की स्वीकृति भी सम्मिलित है।

2- उक्त शासनादेश के सापेक्ष महानिदेशालय के आवंटन पत्र दिनांक 10.12.2014 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर को रू0 80,76,080.00 आवंटित किया गया, जिसके सापेक्ष मुख्य चिकित्साधिकारी सीतापुर द्वारा क्रय किये गये उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री के भुगतान हेतु कुल रू0 63,13,244.00 के बिल के भुगतान हेतु बिल कोषाधिकारी सीतापुर को दिनांक 31.03.2015 को प्रेषित किया गया लेकिन बैंक की साइड की गति धीमी होने के कारण प्रश्नगत धनराशि आहरित नहीं की जा सकी, और धनराशि लैप्स हो गयी।

3- अतएव मुख्य चिकित्साधिकारी, सीतापुर, निदेशक (पी.एच.सी./सी.एच.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ व वरिष्ठ कोषाधिकारी, सीतापुर के पत्रांक-2094/कोष/लेखा/2015-16 दिनांक 09.04.2015 द्वारा प्रदत्त अनाहरण प्रमाण-पत्र के आधार पर उक्त लैप्स धनराशि की चालू अंश के अन्तर्गत कुल रू0-63,13,244.00 (रूपया तिरसठ लाख तेरह हजार दो सौ चौवालिस मात्र) की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-:

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 व शासनादेश संख्या-64/2053/पॉच-6-14-एस0एन0डी0-30/11 दिनांक 10.10.2014 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

(4) शेष शर्ते शासनादेश संख्या-64/2053/पॉच-6-14-एस0एन0डी0-30/11 दिनांक 10.10.2014 की यथावत रहेगी।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-104-सामु0स्वा0केन्द्र-10 सामु0स्वा0केन्द्रों के लिए उपकरणों का क्रय-26 मशीनें और साज-सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद के नामे डाला जायेगा।

4- प्रश्नगत कार्य चालू कार्य हैं अतएव यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या-65 /2017/110 (1)/पॉच-6-17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सीतापुर ।
4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सीतापुर ।
5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक (पी.एच.सी./सी.एच.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
9- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
10- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव

संख्या- /2017/ /पांच-6-17-10(नि0)/14टी.सी.-1

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक02 मार्च, 2017

विषय-: वित्तीय वर्ष 2016-17 में सामु0स्वा0केन्द्र, कर्मा, सोनभद्र के भवन निर्माण कार्य के लिये चालू अंश के रूप् में रू0-300.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10714/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 16.11.16 व शासनादेश संख्या-62/2017/3051/पॉच-6-16-10(नि0)/14टी.सी.-2, दिनांक 20.02.2017 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश 20.02.2017 द्वारा सामु0स्वा0केन्द्र, कर्मा, सोनभद्र के भवन निर्माण कार्य के लिये प्रेषित विस्तृत आगणन के आधार पर रू0-552.79 लाख की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है, लेकिन मूल स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष अन्तर की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत नहीं की गयी।

2- अतएव आपके उक्त प्रस्तावानुसार सामु0स्वा0केन्द्र, कर्मा, सोनभद्र के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के लिये उक्त शासनादेश दिनांक 20.02.17 द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित लागत व मूल् लागत के सापेक्ष अन्तर की धनराशि रू0-452.79 लाख के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में सुसंगत मद में अवशेष धनराशि में से मात्र रू0-300.00 लाख (रूपया तीन करोड़ मात्र) की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-:

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 व शासनादेश संख्या-62/2017/3051/पॉच-6-16-10(नि0)/14टी.सी.-2, दिनांक 20.02.2017 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

(5) शेष शर्ते शासनादेश संख्या-62/2017/3051/पॉच-6-16-10(नि0)/14टी.सी.-2, दिनांक 20.02.2017 की यथावत रहेगी।

3- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-104-सामु0स्वा0केन्द्र-03 सामु0स्वा0केन्द्रों का भवन (चालू अंश जिला योजना)-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4- प्रश्नगत कार्य चालू कार्य हैं अतएव यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

/

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या-66 /2017/372 (1)/पॉच-6-17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, सोनभद्र ।
4- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सोनभद्र ।
5- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- वित्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- निदेशक (पी.एच.सी./सी.एच.सी.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
9- संबंधित प्रबन्ध निदेशक/निदेशक /परियोजना प्रबन्धक, सी.एण्ड डी.एस., उ0प्र0 जल निगम, सोनभद्र ।
10- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
11- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
12- विभागीय वेबमास्टर ।

आज्ञा से,

(राम नगीना मौर्य)
संयुक्त सचिव